

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/1800 /

जबलपुर, दिनांक 03/08 /2022

II-13-48/22

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2019 के आलोक में श्री बाबूलाल रजक, सेवानिवृत्त अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को उनकी सेवानिवृत्त दिनांक 31/05/2022 पर पात्रता अनुसार 217 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही / -

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)


क्रमांक D/1801 /

जबलपुर, दिनांक 03/08 /2022

II-13-48/22

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 2982/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 07/07/2022 के संदर्भ में श्री बाबूलाल रजक, सेवानिवृत्त अशर का आवेदन पत्र, गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न :- अवकाश लेखा।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

H

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/1802 /

जबलपुर, दिनांक 03/08 /2022

IV-12-14/80 VII-R

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के अनुसार श्री विश्वनाथ कुशवाहा, नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 17/06/2022 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

सही/-

(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/1803 /

जबलपुर, दिनांक 03/08 /2022

IV-12-14/80 VII-R

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
  2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
  3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
  4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
  5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. श्री विश्वनाथ कुशवाहा, नवगठित सेवा के सदस्य (माली), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



2-81-12

(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/1804/

जबलपुर, दिनांक 03/08/2022

श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को अवकाश नियम 24 के अनुसार दिनांक 01.03.21 से 16.03.21 (16 दिवस) एवं 27.03.21 से 31.03.21 तक (5 दिवस), दिनांक 02.04.2021 से 04.04.2021 तक (3 दिवस), दिनांक 02.05.2021 से 10.05.2021 तक (9 दिवस), दिनांक 04.06.2021 से 14.06.21 तक (11 दिवस) एवं दिनांक 01.07.21 से 11.07.21 तक (11 दिवस) कुल 55 दिन बिना आवेदन/सूचना के लगातार अपने कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित होने के कारण उक्त अवधि को अकार्य दिवस (Dies-non) स्वीकृत किया जाता है।


  
(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/1805/

जबलपुर, दिनांक 03/08/2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/1806 /

जबलपुर, दिनांक 03/08/2022

दो-13-24/22

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 के आलोक में श्री धनेश तिवारी, अशर, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर को दिनांक 30/06/2022 से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त तिथि को पात्रता अनुसार 232 दिन के अर्जित अवकाश के नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही/-

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/1807 /

जबलपुर, दिनांक 03/08/2022

दो-13-24/22

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे)/इंचार्ज लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर.
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री धनेश तिवारी, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



21/8/22

(विकास चन्द्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

A

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/1808 /

जबलपुर, दिनांक 03/08/2022

IV-12-14/80 VII-R

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-11-12/2010/नियम/चार भोपाल दिनांक 1 सितम्बर, 2012 के अनुसार श्रीमती सुषमा राय, सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 01/06/2022 से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

सही/-

(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/1809 /

जबलपुर, दिनांक 03/08/2022

IV-12-14/80 VII-R

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
  2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
  3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
  4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
  5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
  6. श्रीमती सुषमा राय, सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



28-12

(विकास चन्द्र मिश्रा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

4